



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
 EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
 (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
 आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
 Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
 तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लॉस, नई दिल्ली-110008
 3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
 Rajendra Place, New Delhi – 110008
 Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
 Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा ०सं० 111-A-33/16/1/Asstt/2022Admn-II-Part(2) (E.Comp.No.-111274)

दिनांक: 24.03.2025

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या:84

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, क्षेत्र के लिए दिनांक 16/12/2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर तथा स्थापना-5, मुख्यालय कार्यालय से स्वीकृति के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित तदर्थ सहायक (Adhoc Assistant) को उनके वर्तमान स्थान पर सहायक / प्रधान लिपिक (Assistant/Head Clerk) के पद व वेतन लेवल-6 पर नियमित पदोन्नति करने का अनुमोदन दिया है-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	कर्मचारी आईडी०	श्रेणी	चयनित श्रेणी	वर्तमान तैनाती स्थल
1.	अमीय कुमार, तदर्थ सहायक	171533	UR	UR	क.रा.बी.नि. अस्पताल रोहिणी
2.	तौसीफ अहमद, तदर्थ सहायक	173179	OBC	UR	निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली
3.	हितेश गौतम, तदर्थ सहायक	172053	SC	SC	क.रा.बी.नि. अस्पताल नोएडा

उपरोक्त तदर्थ सहायक (Adhoc Assistant) की सहायक / प्रधान लिपिक (Assistant/Head Clerk) के पद पर नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख (जो की 21.03.2025 है) से प्रभावी होगी (बशर्ते वह पदोन्नति स्वीकार करें)।

उपरोक्त कर्मचारी नियमित पदोन्नति के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति तुरंत प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई कर्मचारी नियमित पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है, तो नियमानुसार पदोन्नति से इंकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उस कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त कर्मचारी सहायक / प्रधान लिपिक (Assistant/Head Clerk) के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन लेवल-6 के न्यूनतम वेतन रु. 35,400/- में अथवा वर्तमान वेतन, जो भी अधिक हो, लेने के तब तक हकदार होंगे जब तक कि उपरोक्त संवर्ग में उनका वेतन, नियमों के अंतर्गत यदि निर्धारित होना हो, न हो जाए।

उपरोक्त कर्मचारी, नियम-13, केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नियम मूल नियमावली (एफ.आर.) FR-22-(I)(a)(1) के अंतर्गत इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं। इन पर सेवा की वही शर्तें लागू होंगी, जो कि इस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती है और समय-समय पर संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियमावली, 2023 में निहित हैं।

यह पदोन्नति के आदेश दिल्ली क्षेत्र में कॉमन कैडर/वरीयता के संबंध में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi) में लंबित कोर्ट केस सं. O.A. No. 3749/2018, कोर्ट केस सं. O.A. No. 1565/2020 और कोर्ट केस सं. O.A. No. 3235/2023 के मामले में तथा माननीय उच्चतम (सुप्रीम कोर्ट) में SLP(C) No. 30621/2011 में पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगी जैसा कि डी.ओ.पी.टी. के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I)(Pt-11) दिनांकित 15/06/2018 में उल्लेख किया गया है।

अनुपालन रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

(राजशेखर सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन-2)

संबंधित कर्मचारी।

(को इस निर्देश के साथ कि वह अपनी स्वीकृति / कार्यग्रहण रिपोर्ट अथवा अस्वीकृति रिपोर्ट को अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रशासन-2 शाखा, क्षेत्रिक दिल्ली में शीघ्र प्रस्तुत करें।)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. संबंधित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. महानिदेशक (स्थापना-5), मुख्यालय, क०रा०बी० निगम, सी०आई०जी० मार्ग, नई दिल्ली-110002
3. शाखा अधिकारी (आई०टी० सैल) को क्षेत्रिक दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. निजी सजिव/प्रधान निजी सचीव, निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली।
5. सहा. निदेशक, लेखा शाखा (चि.)/रोकड शाखा (चि.)/ स्था. शाखा-1 (चि.)/ स्था. शाखा-2 (चि.), निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली।
6. चिकित्सा प्रभारी/ बीमा चिकित्सा अधिकारी, सभी अस्पताल/औषधालय।
7. स्था.-2 (चि). गृह निर्माण अग्रिम/क.रा.बी.निगम (चि.) प्रशिक्षण/जी.एस.एल.आई./वेतन निर्धारण।
8. वैयक्तिक फाइल/कार्यालय आदेश फाइल/गार्ड फाइल।